भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1527

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

"घरेलू भारी इंजीनियरिंग विनिर्माण में प्रौद्योगिकी अंतराल"

1527: डॉ. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू भारी इंजीनियरिंग विनिर्माण में पहचाने गए विशिष्ट प्रौद्योगिकी अंतराल क्या हैं जिनका उल्लेख प्रकाशित नीतिगत दस्तावेजों में नहीं किया गया है;

(ख) मंत्रालय द्वारा ऐसे प्रौद्योगिकी अंतरालों को पाटने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने पूंजीगत वस्तुओं और भारी विद्युत उपकरणों में क्षेत्र-वार आयात निर्भरता का कोई आंतरिक आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विलंबित नीतिगत समर्थन के संबंध में उद्योग से प्राप्त उन अभ्यावेदनों या शिकायतों का ब्यौरा क्या है जिनका समाधान नहीं किया गया है; और

(च) पूंजीगत वस्तुओं के संवर्धन हेतु एक समर्पित योजना के संबंध में अंतर-मंत्रालयी परामर्शों की स्थिति क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल को कम करने, प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय ने "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम-चरण-II" अधिसूचित की है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक कुल 891.3 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाली 29 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें सरकार का अंशदान 714.6 करोड़ रुपए है। इनमें 7 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), 4 सामान्य इंजीनियरी सुविधा केंद्र (सीईएफसी), 6 परीक्षण एवं प्रमाणीकरण केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास हेतु 9 उद्योग त्वरक तथा कौशल स्तर-6 एवं उससे ऊपर के लिए योग्यता पैकेजों के सृजन संबंधी 3 परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ): उद्योग संघों नामतः आईएमटीएमए, टीएजीएमए, टीएमएमए, आईपीएएमए, आईसीईएमए, पीएमएमएआई, एएफटीपीएआई, पीपीएमएआई तथा आईईईएमए द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत वस्तु तथा भारी विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के उप-क्षेत्र**	**उत्पादन**	**आयात**	**निर्यात**
1.	मशीन टूल्स	14286	18686	1472
2.	डाइज, मोल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	18400	9400	2300
3.	वस्त्र मशीनरी	10461	16417	2242
4.	मुद्रण मशीनरी	29716	12651	2584
5.	अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	80750	4250	6800
6.	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	4827	4405	2428
7.	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	15249	10850	4562
8.	प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण	31505	7645	10968
9.	भारी विद्युत इंजीनियरिंग	361154	125805	115535

(ङ.): शून्य

(च): वर्तमान में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के संवर्धन के संबंध में किसी विशेष स्कीम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******